# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

बहादुर साहु

वनाम

बहादुर मुखिया

वाद संख्या–01 / 2013–14

वाद का प्रकार–सीमांकन

## आदेश

**18.10.2013** यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमांकन के लिए दायर किया गया है।

## प्रश्नगत भूमि का विवरण

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहददी |
|---|---|---|---|
| 744 | 1847 | 04 कटठा 15 धुर | उ0–लक्ष्मी साहु |
| | 2184 | | |
| 784 पु0 | पु0 | | द0–दुखा साहु |
| | | | पु0–राम अधिन साहु |
| | | | प0–विपक्षीगण |

प्रथम पक्ष का कहना है कि कार्यवाही की भूमि वादी के मॉ मो0 गुलाब जौजे सुखदेव साहु के नाम से बजरिये निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है जिस पर वादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा खेती बारी के रूप में चला आ रहा है। कार्यवाही की भूमि वादी की मॉ गुलाव देवी जौजे सुखदेव साहु के नाम से खतियानी रैयत के वैध वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी के वारिसान को उचित मुआबजा देकर बजरिये निवंधित केवाला केवाला संख्या–8293 दिनांक 14.07.1958 ई0 को भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानानुसार निवंधित कराया एवं स्वामित्व एवं दखल का हस्तान्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानानुसार कराया और केवाला के उपरान्त उक्त भूमि पर वादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो खेतीबारी के रूप में चला आ रहा है तथा उनका उपभोग वो उपयोग भी वादी किया करता है। कार्यवाही की भूमि का बिहार सरकार के अंचल आमला में दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी संख्या 781 वनाम मो0 गुलाव देवी जौजे

सुखदेव साहु जो वादी के मॉ है का केवाला है जिसका राजस्व की अदायगी वादी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यवाही की भूमि का हाल खतियान का प्रकाशन भी वादी के नाम से कायम है जिसका खाता 784 खेसरा 2184 रकवा 21 डि0 है

वाद की कारवाई के दौरान प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस दिया गया परंतु शुरू से अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय सुनवाई की गयी। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने दावा से संबंधित साक्ष्य में केवाला, लगान रसीद एवं खतियान की प्रति संलग्न की गयी है जिसके आधार पर सीमाकंन की मॉग की गयी है परंतु उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण वादी के प्रश्नगत भूमि के किसी भी चौहद्दी में है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में पश्चिम के चौहद्दीदारो में प्रतिवादीगण बहादुर मुखिया, शिवजी मुखिया एवं श्याम मुखिया के नाम का उल्लेख किया गया है परंतु खतियान में दिये गये चौहद्दी में पश्चिम के चौहद्दीदार में सेख अबास का नाम दर्ज है। अतः सक्षम साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल